तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज जमना वगैरा बनाम सरकार घारा 136 प्रकरण सख्या 5/2023	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2023	राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सख्या 5/2023 जमना वगैरा बनाम सरकार अन्तर्गत घारा 136 भू.राजस्व अधिनियम रेकर्ड दुरस्ती हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेंश किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस प्रेषित कर जॉच रिपोर्ट मंगवाई गई। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता अपने प्रार्थना पत्र मे तथ्यो को दोहराया गया। एवं सरहद मौजा ग्राम मेहरामनगर पटवार मण्डल जानादेसर तहसील झंवर के खसरा नम्बर 103, 116/1, 157, 22, 55/1 कुल 5 खसरे कुल क्षेत्रफल 14.3096 हैक्टर का राजस्व रेकार्ड मे नाम व हिस्से का शुद्विकरण किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिसमे तहसीलदार झंवर से जबाव/मय रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार (भूअ) झंवर के पत्र कमाक/प्रगास/2023/221 दिनाक 11.05.2023 के तहत जॉच रिपोट प्राप्त हुई। जिसमे तहसीलदार झंवर द्वारा.सरहद मौजा ग्राम मेहरामनगर पटवार मण्डल जानादेसर तहसील झंवर मे प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 103, 116/1, 157, 22 व 55/1 कुल रकबा 14.3096 हैक्टर कृषि भूमि स्थित है। दिनांक 13.05.2021 को बाबूराम पुत्र स्व0 राणाराम का देहान्त हो जाने के कारण उक्त खसरो मे जेतीदेवी पत्नि बाबूराम गीतूसिह हवादेवी अनिता सुनिता पुत्रियां बाबूराम मोहित पुत्र बाबूराम नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा शुद्व किया जाने की अनुशषा कि गई। अत– प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार झंवर को आदेश दिया जाता है कि सरहद मौजा ग्राम मेहरामनगर पटवार मण्डल जानादेसर तहसील झंवर मे प्रार्थीगण की सयुक्त खातेदारी के खसरा नम्बर 103, 116/1, 157, 22 व 55/1 कुल रकबा 14.3096 हैक्टर मे प्रार्थीगण के हिस्से शुद्वि किये जाने निम्न प्रकार है कि 01.जेती देवी पत्नि बाबूराम का हिस्सा 1/18, 02.अनिता पुत्री बाबूराम का हिस्सा 1/18 ,03,गीतूसिह पुत्री बाबूराम का हिस्सा 1/18, 04. हवादेवी पुत्री बाबूराम का हिस्सा 1/18, 05.सुनिता पुत्री बाबुराम का हिस्सा 1/18, 06.मोहित कुमार चौधरी पुत्र बाबूराम का हिस्सा 1/18, 07. अर्जूनराम पुत्र राणाराम का हिस्सा 1/3, 08. जमना पत्नि राणाराम का हिस्सा 1/3 राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे एव तहसीलदार झंवर द्वारा प्रस्तुत जबाव आदेश का अंग समझा जावे आदेश की पालना हेतु तहसीलदार झंवर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। (पुखराज कांसोटिया)**RAS** उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

Scanned by CamScanner